Dr. Jaya
Deptt of sociology
B.A Part II (Hons.) Paper - 4
Date :- 22/05/2020 unit - 8
Lecture Series :- 49

Topic — Deference b/w Questionnaire & Schedule

Schedule	Questionnaire
1) अनुसूची पद्धति का प्रयोग भौगोलिक रूप से सीमित क्षेत्र से तथ्यों के संकलन हेतु किया जाता है।	प्रश्नावली पद्धति का प्रयोग तुलनात्मक रूप से विस्तृत क्षेत्र से संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह के लिए किया जाता है।
2) अनुसूची का प्रयोग करते समय अध्ययनकर्ता उत्तरदाता से आमने सामने का संबंध स्थापित कर	प्रश्नावली को अध्ययन के लिए सैंपल के रूप में चुनी हुई इकाइयों को

Scanned by CamScanner

Schedule अनु	Questionnaire
साक्षात्कार के द्वारा तथ्यों का संग्रह करता है।	माल जो कि प्रायः विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई होती है डाक के द्वारा प्रेषित किया जाता है।
3) अनुसूची प्रणाली में प्रश्नों का क्रम, भाषा एवं अनुसूची का सामान्य रूप, उतना महत्वपूर्ण नहीं होता क्योंकि भाषा या प्रश्न संबंधी किसी प्रकार की जटिलता या अस्पष्टता पैदा होने पर भी अध्ययनकर्ता उसको स्पष्ट कर देता है एवं उत्तरदाता को उत्तर देने में सुविधा हो जाती है।	प्रश्नावली में प्रश्नों का क्रम, स्वरूप एवं उसकी भाषा तथा प्रश्नावली की छपाई एवं आकार अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उत्तरदाता को केवल प्रश्न पढ़कर ही अपने मन से उनका उत्तर देना पड़ता है। अतः किसी भी प्रकार की अस्पष्टता एवं जटिलता घातक सिद्ध हो सकती है।
4) अनुसूची पद्धति का प्रयोग शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों ही वर्गों से संबंधित समस्याओं के अध्ययन हेतु किया जाता है। क्योंकि अनुसंधानकर्ता प्रश्न पूछता है तथा सभी वर्ग के लोग आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं।	प्रश्नावली का उपयोग केवल उन उत्तरदाताओं से संबंधित सूचना संग्रह हेतु ही किया जा सकता है जो कम से कम साधारण रूप से शिक्षित हो तथा प्रश्न की भाषा को समझ सकें एवं उसका संतोषजनक उत्तर दे सकें।

Scanned by CamScanner

(६) अनुसूची प्रणाली में दोषपूर्ण तथ्यों के संकलन के कम अवसर रहते हैं क्योंकि अध्ययनकर्ता न केवल उत्तरदाता के उत्तरों को अंकित करता है, बल्कि उत्तरदाता के हाव–भाव एवं चेहरे की भंगिमा देखकर उसके प्रति उत्तरों की सत्यता एवं असत्यता का आसानी से आभास लगा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर वह घुमा फिराकर प्रश्न करके भी उत्तरों की सत्यता की परख कर सकता है। आमने–सामने होने के कारण उत्तरदाता एक बार झूठ बोलने में हिचकता है। इस प्रकार संकलित तथ्यों के आधार पर निकाले गये निष्कर्ष अधिक वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष हो सकते हैं।	(६) प्रश्नावली के द्वारा संकलित त असत्य, दोषपूर्ण एवं पक्षपातपूर्ण भी सकते हैं क्योंकि हो सकता है उत्तरदाता उस अध्ययन की गरिमा समझकर निरर्थक एवं अनर्गल उत्तर दे। कभी–कभी तो झूठा उत्तर देकर अपने अहं की तुष्टि करता है। ऐसे अभिनतिपूर्ण तथ्यों के आधार पर निकाले गये निष्कर्ष प्रायः संदिग्ध एवं अभिनतिपूर्ण हो सकते हैं एवं समस्या विशेष के बारे में कोई सहायक निष्कर्ष नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रश्नावली में अध्ययनकर्ता एवं सूचनादाता में आमने सामने की स्थिति न होने के कारण उत्तरदाता की भाव भंगिमा का कोई अन्दाज नहीं लग पाता तथा उसके उत्तर को ही सत्य मानना पड़ता है। ऐसे उत्तर अधिक अभिनतिपूर्ण हो सकते हैं।
(७) अनुसूची पद्धति में समय एवं धन अधिक व्यय होता है क्योंकि अध्ययनकर्ता को प्रत्येक उत्तरदाता से सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है। इसमें प्रश्नावली को साक्षात्कार के समय अध्ययनकर्ता स्वयं भरता है। अतः अधिक संख्या में अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकता होती है। एक–एक करके भरे जाने के कारण इसमें समय भी अधिक लगता है।	(७) प्रश्नावली प्रणाली में कम समय एवं कम व्यय में विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है। इसके द्वारा सर्वेक्षण कार्य में संख्या में कम अनुसंधानकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि प्रश्नावली को उत्तरदाताओं के पास डाक द्वारा भेजा जाता है और यह कार्य अध्ययनकर्ता स्वयं ही कर सकता है।
(८) अनुसूची के द्वारा एकत्रित तथ्यों में अभिनति की अधिक सम्भावना होती है। उत्तरदाता अध्ययनकर्ता के समक्ष अपने जीवन से सम्बन्धित बहुत–सी सूचना देने में संकोच करता है, अस्तु उत्तरों में बनावट के अवसर ज्यादा होते हैं। प्रेम, तलाक, संघर्ष, शत्रुता या अपराध सम्बन्धी सूचना के बारे में यह बात विशेष रूप से कही जा सकती है।	(८) प्रश्नावली में अभिनतिपूर्ण तथ्यों की कम सम्भावना होती है। उत्तरदाता प्रश्नावली में उल्लिखित प्रश्नों का उत्तर देते समय किसी प्रकार का संकोच महसूस नहीं करता, क्योंकि उनके सामने अध्ययनकर्ता या अन्य कोई नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में उसके द्वारा दी गई सूचना कहीं अधिक सत्य, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होती हैं।

Scanned by CamScanner